

भूमि सुधार उपसमाहर्ता का न्यायालय, जामताड़ा।

सह

नीलाम पत्र पदाधिकारी, जामताड़ा।

नीलाम-पत्र अपील वाद संख्या- 89/11-12

केशर नाथ मुर्मू

-बनाम-

भारतीय स्टेट बैंक नारायणपुर

आदेश

20.10.2021

अभिलेख उपस्थपित।

भारतीय स्टेट बैंक, नारायणपुर द्वारा संबंधित देनदार से बकाया की सम्पूर्ण राशि वसुली कर ली गयी है एवं मामले की सारी कार्रवाई बंद कर दी गयी है उक्त आशय की सूची न्यायालय को समर्पित किया है।

अतः वाद की कार्रवाई समाप्त की जाती है।

लेखापित एवं संशोधित


20/10/2021

भूमि सुधार उपसमाहर्ता
जामताड़ा।


20/10/2021

भूमि सुधार उपसमाहर्ता,
जामताड़ा।